

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 122/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

हेमाराम वगैरा बनाम लालाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री बाबूलाल विश्‍नोई

विप्रार्थीगण वकील :-

निर्णय

दिनांक – 16.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प भंवार में पेश हुई। प्रार्थी सं. 1 व वकील प्रार्थीगण उप.। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा बामड़ला डेर, पटवार क्षेत्र भंवार, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 472/281 रकबा 18.15 बीघा, खसरा सं. 678/281 रकबा 06.05 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा बामड़ला डेर, पटवार क्षेत्र भंवार, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 472/281 रकबा 18.15 बीघा, खसरा सं. 678/281 रकबा 06.05 बीघा की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रूपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरो की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प भंवार में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/1021

प्रार्थीगण :-

1.हेमाराम 2.पुरखाराम पि. मालाराम
जाति सुथार, निवासी बामड़ला डेर
तहसील सेड़वा

दिनांक 23/5/18

विप्रार्थीगण:-

1.लालाराम पुत्र राजूराम जाति रबारी निवासी भंवार
2.गिरधारीराम 3.गोमाराम पि. हमीराराम जाति
कोली 4.सोनाराम पुत्र ईशराराम 5.चेतनराम पुत्र
कुम्भाराम 6.गेरां पुत्री कुम्भाराम 7.पारी बेवा
कुम्भाराम 8.शिवाराम 9.कानाराम 10.केशाराम
11.विरधाराम 12.भमराराम पि.डामराराम जाति कोली
निवासी बामड़ला डेर 13.दादी पत्नि सुहारा
14.रासती पुत्री शौकत अली 15.विलायत पत्नि
शौकत अली 16.समसुदीन पुत्र शौकत अली, जाति
मुसलमान निवासी भंवार, तहसील सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 122/2017

दिनांक : 16.05.2018

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा के मौजा बामडला डेर के खेत खसरा सं. 472/281 रकबा 18.15 बीघा, खसरा सं. 678/281 रकबा 06.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु की लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

मौका कमिशनर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 1022 to 1025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेड़वा
2. प्रार्थीगण हेमाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण लालाराम वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूप्रमुख अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक 23/5/18

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन